21·8·25 पत्रावली पेशी में ली गई। प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है विस्तृत निर्णय अलग से लिखवाया जाकर खुले इजलास सुनाया गया। पत्रावली नंबर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर की जाती है।

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ़

-::निर्णय::-

दिनांक 21.08.2025

अधिवक्ता प्रार्थीगण श्री देवदत भीडासरा द्वारा पेश यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251/ क (1) आर.टी.एक्ट जिसके संक्षेप तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी व अप्रार्थीगण का स्थायी व डाक पता प्रार्थना पत्र के शीर्षक मे अकिंतानुसार है। यह कि प्रार्थी व अप्रार्थीगण सं. 2 व 3 के नाम से चक 2 सी के खाता सं. 3/12 के प.न. 114/355 मु.न. 2 किला न. 19, 22 में 0.500 हैक्टर खातेदारी भूमि राजस्व रिकार्ड मे दर्ज है। नकल जमाबंदी सवत् 2077 से 2080 संलग्न प्रार्थना पत्र है।

यह कि अप्रार्थी सं. 1 सुरेश कुमार के नाम से चक 2 सी के खाता सं. 25/7 प.न. 114/355 मु.न. 2 किला न. 16/2/.063, 17/2/.063, 18/2/.064. 23/.253, 24/.253, 25/.253 कुल तादादी 0.949 हैक्टेयर भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। नकल जमाबंदी सवत् 2077 से 2080 संलग्न प्रार्थना पत्र है।

यह कि अप्रार्थी सं. 1 सुरेश कुमार की भूमि के चिपते ही चक 2 सी प.न. 115/355 मु.न. 3 किला न. 1/1, 10/1, 11/1, 20/1, 21/1 प्रत्येक में 0.025 हैक्टेयर गैर मुम. रास्ता है जो मौका पर चालू है। नकल नक्शा संलग्न प्रार्थना पत्र है।

यह कि प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 2 व 3 की कृषि भूमि चक 2 सी पं.न. 114/355 मु.न. 2 किला न. 19 व 22 मे जाने हेतू कोई भी स्वीकृतशुदा रास्ता नही है। जिस कारण प्रार्थी को अपनी कृषि भूमि मे जाने हेतू भारी असुविधा होती है। प्रार्थी की भूमि मे जाने हेतू सबसे नजदीक व सुविधाजनक रास्ता अप्रार्थी सं. 1 की भूमि चक 2 सी प.न. 114/355 मु.न. 2 किला न. 23-24-25 की दक्षिणी सींव पर पूर्व से पश्चिम एक-एक बिस्वा (0.013 है.) ही है। उक्त रास्ता से प्रार्थी अपनी कृषि भूमि मे आ जा सकता है। उक्त रास्ता के अतिरिक्त प्रार्थी

कलक्टर
उपखण्डाधिकारी
सुजानगढ़

की भूमि मे जाने हेतू अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नही है। इसलिए प्रार्थी उक्त रास्ता स्वीकृत करवाने का अधिकारी है व प्रार्थी उक्त स्वीकृत किये गये रास्ता के बदले प्रतिकर के रूप में नियमानुसार डीएलसी दर की दुगुनी राशि देने हेतू सहमत है।

यह कि अप्रार्थी सं 2 व 3 प्रार्थी के सगे भाई है व उनका हित प्रार्थी के समान ही है। परन्तु आज उपस्थित न आने के कारण उन्हे बतौर अप्रार्थी पक्षकार बनाया गया है। वे चाहे तो प्रार्थी बन सकते है। इसमे प्रार्थी को कोई आपत्ति नही है।

यह कि प्रार्थी ने अप्रार्थी सं 1 को कई दफा कहा कि वह प्रार्थी की भूमि में जाने हेतू अपनी कृषि भूमि चक 2 सी प.न. 114/355 मु.न. 2 के किला न. 23-24-25 मै दक्षिण तरफ एक-एक बिस्वा रास्ता स्वीकृत करवा दे पहले तो वह टाल मटोल करता रहा आखिर दिनांक 20-3-2023 को मुकाम चोहिलावाली में कतई इन्कार हो गया। यही प्रार्थना पत्र का आधार है।

यह कि प्रार्थना पत्र श्रीमान न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार मे है जो अन्दर मियाद व पूर्ण न्यायशुल्क पर प्रस्तुत है ।

लिहाजा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा-251 क राज. काश्त. अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी की भूमि मे जाने हेतू अप्रार्थी सं. 1 सुरेश कुमार की भूमि चक 2 सी प.न. 114/355 मु.न. 2 किला न. 23-24-25 प्रत्येक के दक्षिण सींव पर पूर्व से पश्चिम एक-एक बिस्वा (0.013 है.) रास्ता स्वीकृत किया जावे।

» प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थीगण जारी की गई। अप्रार्थी सं. 2, 3 की ओर से अधिवक्ता श्री तरसेम सिंह उपस्थित व जवाब प्रार्थना पत्र पेश नहीं करने पर जवाब प्रार्थना पत्र बंद किया गया। अप्रार्थी सं. 1 तलबी उपरांत हाजिर नहीं आने के कारण इनके खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

हस्तगत प्रकरण में तहसीलदार हनुमानगढ से मौका रिपोर्ट तलब की गई। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251(क) की कार्यवाही एक संक्षिप्त विचारण है जिसकी मंशा यह है कि काश्तकारों को अपनी खातेदारी जोत तक पहुंचने के लिए निर्बाध रूप से रास्ता प्राप्त होना चाहिए। राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम 1955 के नियम 69 के प्रावधानान्तर्गत भू.अ.निरीक्षक या उससे वरिष्ट स्तर के राजस्व अधिकारी से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251(ए) के संबध में रिपोर्ट प्राप्त की जा सकती है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के निस्तारण हेतु निम्नाकिंत बिन्दूओं का विवेचन किया गया-

1 रास्ते की अत्यांतिक आवश्यकता।

2 वैकल्पिक रास्ते का अभाव।

3 नया मार्ग लघुतम रूट से हो।

पत्रावली में मौजूद जमाबंदी, नजरी नक्शा व प्रकरण में तहसीलदार हनुमानगढ द्वारा प्रेषित पत्रांक रास्ता/38 दिनांक 16.06.2023 द्वारा मौका रिपोर्ट प्राप्त जिसमें अंकन किया गया है कि प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 2, 3 के नाम दर्ज भूमि में जाने के लिए कोई स्वीकृतशुदा रास्ता नहीं है। प्रार्थी ने अप्रार्थी की तीन बीघा लंबी भूमि में से रास्ता स्वीकृत करवाने का निवेदन किया है जबकि एक बीघा दूरी से रास्ता मुताबिक नजरी नक्शा उपलब्ध हो सकता है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया व बहस उभयपक्ष सुनी गई। चूंकि धारा 251ए एक संक्षिप्त विचारण है। प्रार्थी प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर मनन किया गया। मनन उपरांत यह निष्कर्ष है कि प्रार्थी द्वारा याचित रास्ता से सुगमता से प्रार्थी अपनी जोत तक पहूंच सकता है। प्रार्थी को अपनी जोत में पहूंच का रास्ता राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा-251 (1)

एवं राजस्थान काश्तकारी (सरकारी नियम-1955 के नियम-68 से 70) के अन्तर्गत प्रदान किया जाना आवश्यक है। प्रार्थी को अपनी कृषि भूमि में आवागमन हेतु कोई भी स्वीकृतशुदा रास्ता उपलब्ध है। तहसीलदार हनुमानगढ के अनुसार आवेदक की नजरीनक्शा में वर्णित दोनों भूमियों में मध्य एक बीघा दूरी है जहां से रास्ता दिया जा सकता है जिससे दोनों भूमियों में आवागमन हो सकेगा। चूंकि 251 ए आरटीए के प्रावधान में किसी स्वीकृतशुदा रास्ते से ही रास्ता प्रदान किया जा सकता है इसलिए स्वीकृतशुदा रास्ता प.न. 115/355 मु.न. 3 कि.न. 1,10,11,20,21 से प्रदान किया जाना उचित होगा जो तीन बीघा दूरी पर स्थित है। यह है भी है कि चूंकि अप्रार्थी सं. 1 के नाम केवल .949 हैक्टेयर खातेदारी रकबा उपलब्ध है इसलिए डीएलसी दर की बजाय भूमि के बदले भूमि पर विचार किया जाना उचित होगा। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा-251(।) एवं राजस्थान काश्तकारी (सरकारी नियम-1955 के नियम-68 से 70) के अन्तर्गत नया रास्ता कायम करने के संबंध में तहसीलदार मौका रिपोर्ट व प्रार्थी द्वारा अनुतोष में वांछित रास्ता में लघुतम दूरी का होना, वैकल्पिक मार्ग का नही होना और मार्ग की अत्यांतिक आवश्यकता का होना पाया गया है। प्रार्थी उक्त तीनों बिंदुओ को अपने पक्ष में साबित करने में सफल रहा है। प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण धारा 251 ए में वर्णित प्रावधानों के अनुसरण में रास्ता भूमि के बदले भूमि देकर स्वीकार किया जाना उचित व न्यायसंगत प्रतीत होता है। प्रार्थना पत्र स्वीकार कर उक्त विवेचन उपरांत आदेश दिए जाते है कि:-

-:क्रिन्याविति आदेश:-

अतः उपर्युक्त विवेचन के अवलोकन में प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर चक 2 सी प.न. 114/355 मु.न. 2 किला न. 23-24-25 प्रत्येक के दक्षिण सींव पर पूर्व से पश्चिम एक-एक बिस्वा रास्ता स्वीकृत किया किया जाता है। स्वीकृत किये गये रास्ते की भूमि के एवज में प्रार्थी आत्मा राम के हिस्से की भूमि चक 2 सी प.न. 114/355 मु.न. 2 कि. न. 22 के पूर्वी पासे दक्षिण से उत्तर कुल .038 हैक्टेयर भूमि कम की जाकर 0.038 हैक्टेयर का अप्रार्थी सं. 1 सुरेश कुमार को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे।

तहसीलदार हनुमानगढ को आदेश दिए जाते है कि उक्तानुसार पालना करे व किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन/न्यायिक विवाद आदि नहीं हो तो, आरटीए 251-ए (2) के तहत उक्त मंजूरशुद्दा रास्ते का राजस्व रिकार्ड में बतौर गैर मुमकिन रास्ता (सिवाय चक) के रूप में अमलदरामद किया जाना सुनिश्चित करें। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करें। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 21.08.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(मांगी लाल) RAS
सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
हनुमानगढ